प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 15.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा स्कूल की छुट्टी के समय स्कूली छात्राओ को एंटी रोमियो अभियान के बारे में जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति अभियान-4 के तहत एण्टी रोमियों टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरुक किया गया-

"मिशन शक्ति अभियान फेज - 4.0" व "शक्ति दीदी" अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.07.2024 को श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आर.बी.पी.एस. स्कूल कुलपहाड़ में स्कूली छात्राओं को सशक्त बनाये जाने उद्देश्य से उनके विरुद्ध सार्वजनिक स्थलो में छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये एवं ऐसे अपराधओं के प्रति आवाज उठाने के लिये जागरुक कर उनको उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान की गयी। इस दौरान उनकी सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर, वूमेन पावर लाइन 1090, यूपी कॉप एप, महिला हेल्प लाइन181, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1076, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 इत्यादि के बारे में जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान सभी को अवगत कराया गया कि सभी थानों में उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है।

इसी क्रम में जनपद महोबा के समस्त थानाक्षेत्र में गठित एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 15.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने थानाहाजा के शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 14.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 कन्हैयालाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाहाजा के मजारिया हिस्ट्रीशीटर **HS No 34A** अपराधी अभियुक्त सूरज सिंह यादव पुत्र हरगोबिन्द यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम सलारपुर के पास से हिरासत में लिया गया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 141/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण एवं आपराधिक इतिहास–

सूरज सिंह यादव पुत्र हरगोबिन्द यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा का आपराधिक इतिहास।
1.मु0अ0सं0 1296/08 धारा 147/323/504/506 भादवि. व 3(1) एससी /एसटी एक्ट 2.मु0अ0सं0 1200/09 धारा 323/504/506 भादवि. 3.मु0अ0सं0 713/12 धारा 60 आबकारी अधिनियम 4.मु0अ0सं0 383/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 5.मु0अ0सं0 198/16 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट 6.मु0अ0सं0 333/16 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट 7.मु0अ0सं0 65/18 धारा 354/323/504/506 भादवि. 8.मु0अ0सं0 115/19 धारा 147/148/304/308/504 भादवि. 9.मु0अ0सं0 54/21 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट 10.मु.सि.सि.नं. 28/21 धारा 110 जी सीआरपीसी 11.मु.सि.सि.नं. 121/21 धारा 110जी सीआरपीसी 12.मु.सि.सि.नं. 18/22 धारा 110 जी सीआरपीसी 13.एनसीआर नं. 59/23 धारा 323 भादवि. 14.मु0अ0सं0 48/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम 15.मु0अ0सं0 71/24 धारा 504/506 भादवि.।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1. व0उ0नि0 कन्हैयालाल 2. हे0का0 जगवीर सिंह 3. का0 अजय सोनकर 4. का0 हरिओम यादव

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 15.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 15.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 15.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा गूगलमीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी कर 01 जुलाई से लागू हुए तीन नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 15.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम् द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना/चौकी प्रभारियों के साथ गूगलमीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी की गयी।

इस वर्चुअल गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा 01 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए तीन नवीन कानूनों यथा- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन यथा- अभियुक्त के प्रकाश में आने से उसकी गिरफ्तारी किये जाने, अपराधी के कब्जे से बरामदगी एवं घटना के सम्बन्ध में ऑडियो/वीडियों के माध्यम से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किये जाने, अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक सलाह दी गयी है। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा आम जनमानस में इन नये कानूनों के प्रचार प्रसार के लिये जागरुकता पम्पलेट्स को भी वितरित किये जाने पर जोर दिया गया है।

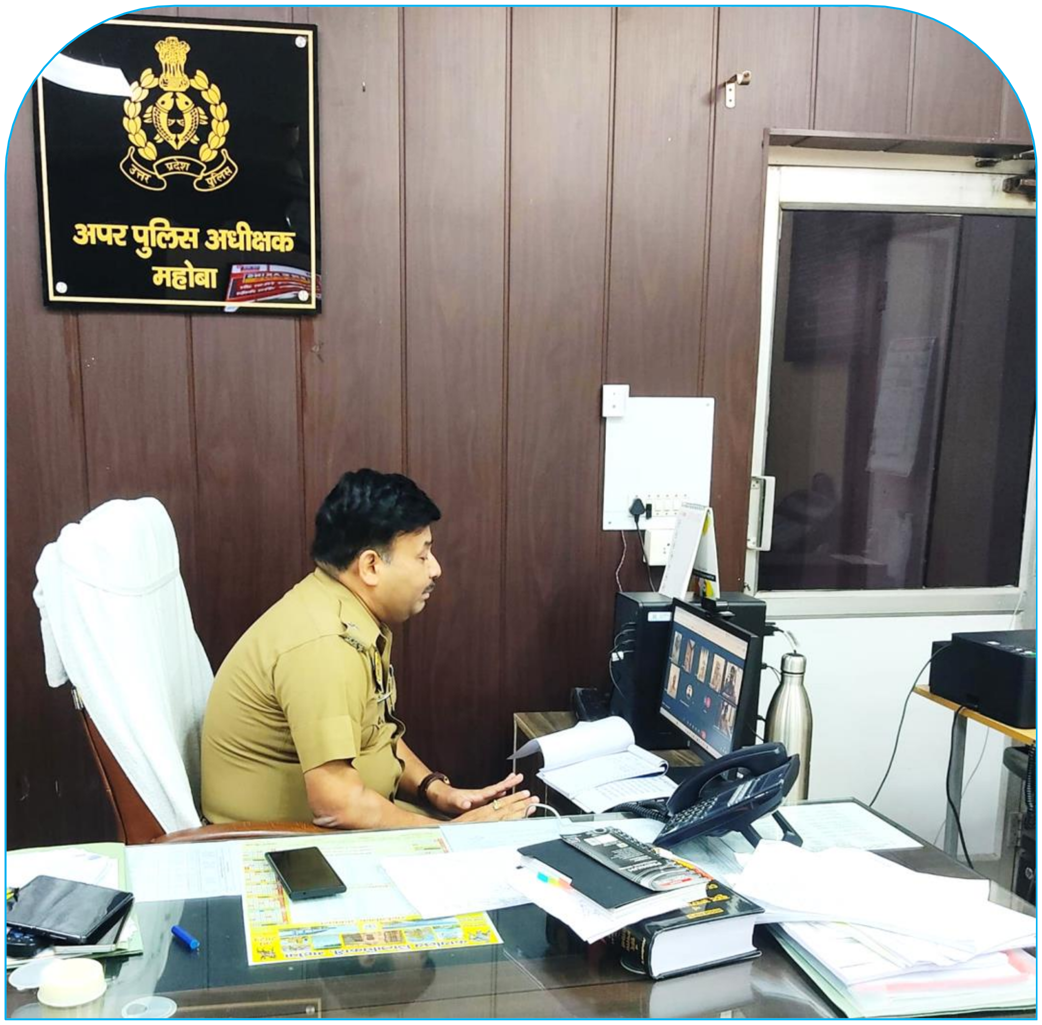

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 15.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 14.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह के द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्त अशोक कुमार जोशी पुत्र अम्बिका प्रसाद उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कबरई जनपद महोबा हाल पता जेल के पीछे सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले मे 01 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुये मु0 शेखूनगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 345/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अशोक कुमार जोशी पुत्र अम्बिका प्रसाद उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कबरई हाल पता जेल के पीछे सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा
2. का0 दीपेश कुमार यादव